कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ./एम.बी./487 दिनांक : 23.11.21

आपत्ति सूचना

श्री राम सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड जो कम्पनी अधिनियम 1955 के अधीन निगमित की गई है जिसका रजिस्टर्ड पता प्लॉट संख्या 08 हनवन्त स्कूल के सामने, पाल रोड, जोधपुर (राज.) जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डाक्टर सुनिल चण्डक पुत्र श्री जगदीश चण्डक निवासी प्लॉट नं. 08 हनवन्त स्कूल के सामने, पाल रोड़, जोधपुर द्वारा एक भूखण्ड/सम्पत्ति संख्या ए जो खसरा संख्या 599, 600/911, 598, 601 व 1054/658 की भूमि का एक भाग है तथा एक नोहरे के रूप में जिसका सम्पति संख्या 4/19 है का भाग है जो वाकै नौसर तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 581.34 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है। पूर्व में-रास्ता आम 15 फुट चौड़ा, पश्चिम-डॉ. आर.सी. पुरोहित का पोल्ट्री फार्म, उत्तर-श्रीमती मुन्नी देवी का पोल्ट्री फार्म, दक्षिण-रास्ता आम सड़क पुष्कर को जाने वाली। अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

आम सूचना

श्रीमति जया लखवानी पत्नी श्री पमनदास लखवानी ने आवास संख्या 182 आनासागर सर्क्युलर रोड़ (एल.आई.जी) की लीज डीड हेतु आवेदन किया है। मूल आंवटी श्री राजेश गुरनानी पुत्र श्री नानकराम उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनाक 18.11.1995 को श्री बलदेव कुमार मूलचन्दानी पुत्र श्री प्रीतमदास जी को विक्रय कर दिया। 09.04.1999 को श्री बलदेव कुमार मूलचन्दानी पुत्र श्री प्रीतमदास ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक श्रीमति जया लखवानी पत्नी श्री पमनदास लखवानी को विक्रय कर दिया अत: क्रेता ने उक्त भूखण्ड/आवास को प्रथम क्रेता से खरीदशुदा एवं वर्तमान में स्वयं को उक्त आवास का अंतिम क्रेता बताया है। अत: पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन के सम्बन्ध में वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में एवम राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(1201) नविवि/3/2012 दिनांक 24.03.2021 की अनुपालना में उक्त आवास आवास संख्या 182 आनासागर सर्क्यूलर रोड़ (एल.आई.जी) श्रीमति जया लखवानी पत्नी श्री पमनदास लखवानी के नाम लीज डीड जारी किये जाने से किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेजों के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपति प्रस्तुत कर सकते है। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एंव उक्त आवास संख्या 182 आनासागर सर्क्युलर रोड़ (एल.आई.जी) योजना श्रीमति जया लखवानी पत्नी श्री पमनदास लखवानी नाम परिवर्तन कर लीज डीड जारी कर दी जावेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांकः न.पा.बि./निर्माण स्वी./2021/4454 दिनांक :-24.11.2021

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान का गृहकर पंजिका/विकास कर में अन्तरण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/ आपत्ति मान्य नहीं होगी :-

फाईल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	हस्तान्तरण का प्रकार
254	दिव्या कोठारी पत्नि राहुल कोठारी	महावीर कॉलोनी ख.सं. 1028 व 1041 भू.सं. 87 का दक्षिणी हिस्सा	55.76 SQ.MTS	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, बिजयनगर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांकः न.पा.बि./निर्माण स्वी./2021/4457 दिनांक :-24.11.2021

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान का गृहकर पंजिका/विकास कर में अन्तरण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र/ आपत्ति मान्य नहीं होगी :-

फाईल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	हस्तान्तरण का प्रकार
251	अनिल कुमार पुत्र गोविन्द कुमार गोयल	मिल चौक बिजयनगर ब्लॉक नं. 168 भू.सं. 03	166.48 SQ.MTS	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, बिजयनगर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक:-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2021/ दिनांक ....

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेन्ट प्लान2033 के जोन 2 अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मनोज शर्मा पुत्र श्रीकन्हैयालाल शर्मा	राजस्व ग्राम चौरसिया	खसरा सं. 556	1888.46 वर्गगज	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी./503 दिनांक 23.11.2021

आपत्ति सूचना

श्री विवेक जैन पुत्र श्री गुमानमल जैन, श्रीमती अंजुला जैन पत्नी श्री विवेक जैन पत्नी श्री विवेक जैन निवासीगण न्यू कायस्थ कॉलोनी गली नं. 03 लोहागल रोड़ अजमेर द्वारा एक भूखण्ड/सम्पति जिसका ए.एम.सी. नम्बर 18/859, 697/4 जो वाकै काला बाग, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 523.61 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है:-

पूर्व :- कॉमन लेन
पश्चिम :-स्ट्रीप लैण्ड आनासागर एसक्रेप चैनल
उत्तर:- मैन काला बाग रोड़
दक्षिण:- शीतला माता मंदिर की गली

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक:-न.नि.अ./471 दिनांक 16.11.2021

आपत्ति सूचना

श्रीमती माया देवी पत्नी श्री मुकेश जांगीड़ निवासी जम्बेश्वर नगर नौसर अजमेर द्वारा एक भूखण्ड/सम्पति जो खसरा नं. 58 का भाग है जो वाकै ग्राम नौसर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 103.12 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है:-

पूर्व :- 30 फुट रोड़
पश्चिम :- अन्य की सम्पति
उत्तर:- 60 फुट रोड़
दक्षिण:- अन्य की सम्पति

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारी के पक्ष में नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व सांधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की दौराई योजना के औद्योगिक खसरा संख्या 505, 506, 3571/507 क्षेत्रफल 1.30 हैक्टेयर के आवंटी/अन्तरित श्रीमती संगीता जैन पत्नी श्री सुनील दत्त जैन निवासी डिग्गी चौक अजमेर की मृत्यु दिनांक 01.09.2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्री सुनील जैन पुत्र स्व. श्री मुसदढी लाल जैन निवासी डिग्गी चौक द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर

क्रमांक : 1476 दिनांक : 23.11.21

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल दौराई अजमेर योजना में श्रीमती कृष्णा रानी पत्नी स्व. श्री मदन लाल को आवास संख्या 1/30 दौराई अजमेर में आवंटित कर दिनांक 19.10.1994 को मकान का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्रीमती कृष्णा रानी दीवान का मृत्यु दिनाक 06.12.2020 को हो जाने के कारण उनके भतिजे श्री अनिल चौधरी पुत्र स्व. श्री मदन लाल चौधरी द्वारा वसीयत/अन्तिम इच्छा पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अब श्री अनिल चौधरी पुत्र स्व. श्री मदन लाल चौधरी ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं। श्री अनिल चौधरी पुत्र स्व. श्री मदन लाल चौधरी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डावरिया, पंचायत समिति अरांई अजमेर

क्रमांक-ग्रापम/2021-22/01 दिनांक:-22.11.2021

सीमित निविदा सूचना

पंचायत समिति अरांई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डावरिया कार्य का नाम सार्वजनिक शौचालय निर्माण गन्दे पानी की निकास एवं बिजली, पानी की व्यवस्था सहित स्थान- खेडागोपालपुरा कार्य के लिए सिमित निविदाए आंमात्रित कि जाती है। विस्तृत विवरण **http://ppp.rajasthan.com.in** देखा जा सकता है।

INB NO-ZAJ2122A0502,UBN, NO-ZA2122WSL800581

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मण्डावरिया
पंचायत समिति अरांई

सरपंच
ग्राम पंचायत मण्डावरिया
पंचायत समिति अरांई

सामाजिक सप्ताह झंकार का आयोजन

ब्यावर (निस)। श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक सप्ताह झंकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय दिवस प्रश्न मंच आशु भाषण व एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने प्रसिद्ध गीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुति देकर समां बांध दिया प्रश्न मंच प्रतियोगिता में टीम की तृतीय वर्ष कला एवं 3 प्रथम वर्ष वाणिज्य ने प्रथम स्थान आशु भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कृतिका शर्मा रहे एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नाज़नीन बानो प्रथम स्थान पर रही।

शाहपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का शुभांरभ

सांसद सुभाष बहेड़िया ने शाहपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

भीलवाड़ा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, उदयपुर के द्वारा भीलवाडा जिले की शाहपुरा पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित बोर्डिग हाउस राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के परिसर मे तीन दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का आज बुधवार 24 नवम्बर 2021 को शुभांरभ भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया , नगर पालिका अध्यक्ष रधुनंदन सोनी , उपखण्ड अधिकारी शिल्पा सिंह, जिला परिषद सदस्य शिवराज कुमावत ,पार्षद मोहन गुर्जर ,पार्षद स्वराज सिंह , मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा एवं सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुएं सांसद सुभाष बहेडिया ने कहा कि प्रदर्शनी मे स्वतंत्रता सेनानियो के त्याग और उनके समर्पण को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आजादी की लडाई के गौरवशाली अतीत से आमजन के साथ-साथ युवा पीढी रूबरू होंगी। इस प्रदर्शनी से नई पीढी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियो के बारे मे जानने का अवसर मिलेगा। यह उत्सव स्वंतत्रता सेनानियो के संकल्पो का जनउत्सव साबित होगा। उनहोने कहा की हमें इस प्रदर्शनी के माध्यम से इस बात का पता चलेगा की हमें किस तरह से आजादी मिली एवं किन लोगो ने अपना बलिदान दिया। उन्होने कहा कि हमे आज सहिष्णुता एवं धैर्य के साथ अपने काम अजांम देने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर शाहपुरा नगरपालिका के अध्यक्ष रधुनन्दन सोनी ने कहा इस प्रदर्शनी से हमें स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास का स्मरण होगा तथा आजादी से जुडे आन्दोलनो एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत , आत्म निर्भर भारत जैसी अनेक योजनाओ को समझ कर ही हम एक नया भारत के निर्माण की परिकल्पना कर सकते है। उन्होने स्वतंत्रता सेनानियो का स्मरण करवाते हुए अपील की कि हमे उनके पदचिन्हो पर चलकर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए।

प्रदर्शनी में मुख्य वक्ता के रूप मे बोलते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी नई व प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा की मोजूदा सांस्कृतिक संबधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढावा देना है।

पीट-पीटकर की गोवंश की हत्या

भीलवाड़ा। जिले के सवाईपुर क्षेत्र में बीती रात को एक गोशाला में बदमाशों ने एक गोवंश को पीट पीटकर मार डाला। इसके बाद बदमाशों ने गोशाला के चारों तरफ की गई तारबंदी को भी तोड दिया। इस संबंध में सुबह जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण गोशाला में पहुंचे। गोवंश की मौत को लेकर आक्रोश जताया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बडलियास थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोशाला के सचिव ने इस संबंध में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इधर, पुलिस ने पशु चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर जमीन में दफना दिया गया। बडलियास पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सवाईपुर कस्बे के कोटडी रोड स्थित जगदम्बा गोशाला के सचिव देवराज जाट ने गांव में रहने वाले बाल किशन, लादू, बालू, धमराज, शैतान, रामेश्वर व कालू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत श्रमदान किया

ब्यावर (नि स) सनातन धर्म राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के चलते विभिन्न परिसरों में श्रमदान किया गया। कार्यक्रम प्रभारी विनोद धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में स्वयं सेवकों द्वारा श्रमदान किया गया। जिसके अंतर्गत विद्यालय परिसर में सफाई, खरपतवार हटाना, कक्षा कक्षों की साफ-सफाई आदि कार्य किए गए।

इसके अतिरिक्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण, शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करवाते हुए स्वयंसेवकों को स्वस्थ रहने की आदर्श दैनिक दिनचर्या के महत्व को बताया।प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने छात्रों को एनएसएस के उद्देश्यों को दैनिक व्यवहार में अपनाने की आवश्यकता पर वार्ता दी। शिविर में भगवती खन्ना, सुनीता गहलोत, निरंजन मिश्रा, ब्रह्मानंद जोशी का विशेष सहयोग और योगदान रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गा वास मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन स्थानीय विद्यालय परिसर में किया गया, शिविर में कुल 109 संभागियो ने भाग लिया।

संभागियों ने विद्यालय परिसर, प्रार्थना स्थल एवं कक्षा कक्ष की सफाई के साथ पौधों को पानी पिलाने का कार्य किया गया। कार्यक्रम अधिकारी धन्ना सिंह रावत के अनुसार कक्षा 11 व 12 के 109 स्वयंसेवकों ने एक दिवसीय शिविर में भाग लिया। शिविर में सह प्रभारी के रूप में टीना तोषावडा, सुश्री सोनल परिहार, सुश्री सुनीता खेदड़, पूजा मेघवाल, नीतू प्रधान, राजेंद्र सिंह व्याख्याता एवं मुकेश कुमार गुर्जर के द्वारा विद्यालय के प्रथम व द्वितीय परिसर की सफाई करवाई गई। साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा हुई डिजिटलाइजेशन

अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत की प्रतिलिपि शाखा डिजिटलाइजेशन व कम्प्यूटराइज्ड हुई जिसका उदघाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने किया।

अजमेर (कासं)। जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत की प्रतिलिपि शाखा डिजिटलाइजेशन व कम्प्यूटराइज्ड हुई, जिसका उद्घाटन बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी द्वारा किया गया, जिसे जनहित में समर्पित किया।

न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में प्रतिलिपि शाखा के डिजिटलाइजेशन कर उसका अपग्रेडेशन कर जिला एवं न्यायाधीश भाटी ने कहा कि कम्प्यूटराइजेशन व डिजिटलाइजेशन होने से प्रतिलिपि लेने वाले अधिवक्ताओं और पक्षकारों सहित अन्य लोगों सुविधा होगी तथा प्रतिलिपि की जानकारी जो नकल उनके द्वारा आवेदन की गई है, उसका स्टेटस वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकेगा, जिसके चलते बेवजह प्रतिलिपि शाखा के चक्कर से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को मोबाइल नंबर प्रतिलिपि आवेदन फार्म पर लिखे होने पर उन्हें नकल आवेदन की जानकारी फोन पर मोबाइल संदेश के माध्यम से तत्काल मिल सकेगी। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि प्रतिलिपि शाखा का सरलीकरण का कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सर्वप्रथम बीकानेर में किया गया था। उसके पश्चात अजमेर दूसरा जिला है, जहां पर यह व्यवस्था उपलब्ध होगी। आयोजन कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता सहित न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे।

लंबित प्रकरणों का किया निस्तारण

नागौर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण (प्रथम चरण) पार्ट-ए का आयोजन किया जाना है। परिषद् द्वारा बुधवार को वार्ड 29 व 30 के लिए नेहरू उद्यान में शिविर आयोजित किया गया। जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह के 20 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

आपत्ति आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गाड़ी नंबर RRX0090 फोर्चुनर जो अशोक सिंह चारण के नाम थी मृत्यु उपरांत पत्नी तरुणा लखावत निवासी मित्र निवास मदनगंज किशनगढ़ अजमेर के नाम होना है, उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी को आपति हो तो RTO-DTO जयपुर अन्दर मयाद सूचित करे

तरुणा लखावत
मित्र निवास मदनगंज किशनगढ़
अजमेर 305801

आम सूचना

मेरी मां श्रीमति छोटी पत्नि गंगाराम जाति रेगर निवासी ग्राम अरांई की मृत्यु दिनांक 15-7-1991 को मेरे निवास स्थान अंराई में हो गई थी जिसका पूर्व मे इन्द्राज ग्राम पंचायत अरांई में नही करवाया था अब मेरी मां मति छोटी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन मे मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वंय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र गंगाराम
जाति रेगर निवासी अरांई (अजमेर)

सड़क पर दौड़ती कार बनी आग का गोला, सवारों की जान बची

भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के मंडपिया चौराहे पर सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई।

भीलवाड़ा। जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के मंडपिया चौराहे पर सडक पर दौडती कार अचानक आग का गोला बन गई, शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई और कार में सवार रतलाम से भीलवाड़ा आ रहे लोगो ने तत्काल कार रोक कर अपनी जान बचाई।

मंगरोप थानाधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि रतलाम निवासी प्रीति (25) ड्राइवर श्यामलाल कसारा के साथ रतलाम से कार में भीलवाड़ा अपने मामा राजकुमार बंसल के यहां आ रही थी। इसी दौरान मंडपिया चौराहे पर शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक कार में आग लग गई। इसी दौरान एक बाइक चालक ने कार चालक को आग लगने की जानकारी दी। कार चालक ने कार साइड में रोकी और प्रीति को भी नीचे उतार दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मंगरोप थाना पुलिस ने फायर बिठोड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही की हादसे में कोई जनहानि नही हुई।

युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान किया

ब्यावर (निस)। सन्त निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। सन्त निरंकारी सत्संग मंडल के सन्त बच्चुमल सन्तवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का आयोजन राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय से आने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ। रक्त की कमी से जुंझ रहे रोगियों की जान बचाने के लक्ष्य को लेकर आयोजित शिविर में यूनिट रक्तदान हुआ। मीडिया सहायक रवि मोटवानी के अनुसार शिविर में रक्त दाताओं द्वारा 50 यूनिट रक्तदान किया गया शिविर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के डॉक्टर प्रभाकर ने मय स्टाफ के शिविर मे अपनी सेवाएं दी।

आम सूचना

मेरी सास श्रीमति भूली पत्नि उगमा जाति बैरवा निवासी ग्राम बालापुरा की मृत्यु दिनांक 24-10-1995 को मेरे निवास स्थान पर गाम बालापुरा मे हो गई थी, जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत ढसूक में नही करवाया था। अब मै मेरी सास श्रीमति भूली बैरवा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय मे आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन मे मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नही होगी।

प्रार्थीया प्रेम पत्नि स्व. रामदेव
जाति बैरवा उम्र 47 साल निवासी
ग्राम बालापुरा तहसील अरांई

सूचना

ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम गोपाल जाट है मैं इसे अब गोपाल चौधरी करवाना चाहता हूं मेरे सभी सरकारी दस्तावेज में नाम गोपाल चौधरी है तो मुझे भविष्य में इसी नाम से जान जाए।

मेरा पता है गोपाल चौधरी उम्र 50 साल निवासी पावर हाउस की ढाणी बिजली ऑफिस के सामने , बांसेली तहसील पुष्कर

नाम परिवर्तन

यह है कि मेरा नाम पासपोर्ट में ब्रह्मचारी रामानंद है तो मैं इस नाम को रामानंद गिरी करवाना चाहता हूं। आधार कार्ड में रामानंद है उसमें भी मैं नाम के पीछे गिरी लगाना चाहता हूं भविष्य में मुझे रामानंद गिरी के नाम से जाना जाए

पता रामानंद गिरी उम्र 37 पुत्र स्वर्गीय श्री नित्यानंद गिरी पाराशर कॉलोनी पंच कुंड रोड पुष्कर

शपथ पत्र

मै मनीष जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द जी जैन उम्र करीब 47 वर्ष जाति जैन निवासी 4, कुम्हारों का मोहल्ला, बडी बस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर निम्न शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि

1. यह कि मेरा नाम स्कूल रिकॉर्ड में मनीष कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन दर्ज है।
2. यह कि मेरा नाम आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि में मनीष जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन दर्ज हैं।
3. यह कि उक्त दोनों नाम मनीष कुमार जैन व मनीष जैन नाम का मै शपथकर्ता एक ही व्यक्ति हूं। भविष्य में मुझे मनीष जैन के नाम से ही जाना जाए

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN-L65910KL1992PLC006623,
IV/470A (old) W638A(New), Manappuram House,
Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567.

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.12.2021 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे है जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

अजमेर, ब्यावर, 135510700005212, 5451, 5458, 5480, 5553, 5581, 5584, 5590, 5592, 5634, 5639, 5676, 5697, 5717, 5734, 5736, 5750, 5762, 5792, 5800, 5803, 5911, 5921, 5938, 5945, 6017, 6220, 6228, 6239, 6242, 6245, 6252, 6254, 6269, 6271, 6273, 6279, 6284, 6286, 6294, 135510730030097, 0463, 0897, 1085, 2404, 2903, 3148, 3149, 3367, 3716, 4177, 4207, 4224, 4225, 4229, 4233, 4309, 4451, 4469, 4826, 5125, 6960, 6999, 7010, 7166, मदनगंज कृष्णगढ़, 111760700016953, 7215, 7293, 7484, 7485, 7486, 7530, 7606, 7612, 7613, 7614, 7659, 7711, 7741, 7769, 7844, 7854, 7860, 7869, 7910, 7928, 7932, 7934, 7936, 7967, 7994, 8015, 8088, 8099, 8209, 8324, 8444, 8460, 8491, 8520, 8528, 8614, 8647, 8649, 8652, 8690, 8695, 8707, 8715, 8789, 8883, 8895, 8917, 8982, 9003, 9010, 9227, 9415, 9463, 9473, 9474, 9478, 9482, 9484, 9490, 9492, 9507, 9512, 9515, 9523, 9530, 9532, 9535, 9538, 9543, 9544, 9546, 9549, 9550, 9551, 9553, 9554, 9563, 9575, 9582, 9592, 9593, 9606, 111760730037648, 9344, 9656, 9847, 111760730040154, 0584, 0712, 0786, 0917, 1723, 1925, 2040, 2799, 2800, 3159, 3504, 4089, 4091, 4330, 4955, 5337, 6636, 7404, 111760730052430, 2466, 2511, 2594, 2675, 2798, 2841, 2973, 3059, 3075, 3254, 111760780000007, पीआर मार्ग अजमेर, 125030700011056, 1071, 1114, 1161, 1205, 1217, 1262, 1321, 1324, 1359, 1423, 1450, 1474, 1478, 1487, 1502, 1503, 1533, 1548, 1560, 1562, 1697, 1820, 1838, 1856, 1894, 1916, 1917, 1941, 1942, 2280, 2297, 2298, 2301, 2305, 2307, 2327, 2338, 2341, 2345, 2355, 2356, 2357, 2375, 2382, 2401, 2408, 2411, 125030730019870, 9972, 125030730020002, 0144, 0383, 0577, 0745, 0752, 0851, 0938, 1108, 1629, 1630, 1862, 2170, 2427, 3136, 3342, 3544, 3662, 3769, 3770, 4068, 4217, 6276, 6340, 6352, 6449, 6483, 6484, 6519, 6545, 6546, 6621, 6691, 6740, 6813, 6898, रामगंज अजमेर, 111700700016429, 6643, 7177, 7219, 7252, 7291, 7380, 7443, 7476, 7537, 7645, 7646, 7824, 7874, 7881, 7883, 7885, 7894, 7900, 7918, 7919, 7931, 7937, 7949, 7950, 7952, 7954, 7968, 111700730019871, 111700730020431, 0938, 1187, 1775, 1778, 1844, 1845, 2091, 2092, 2093, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2576, 2577, 3493, 4215, 4267, 4557, 4693, 4890, 5010, 5215, 5369, 5377, 5378, 5379, 6048, 6250, 6457, 6560, 6796, 7497, 7500, 7514, 7516, 7518, 7527, 7556, 7567, 7604, 7626, 7651, 7652, 7655, 7656, 7657, 7663, 7694, 7698, 7699, 7700, 7718, 7747, 7758, 7764, 7776, 7797, 7799, 7840, 7848, 8002, 8003, 8004, 8005, 8008, 8033, भीलवाडा, गांधी नगर भीलवाडा, 116480700015228, 5367, 5398, 5508, 5518, 5531, 5536, 5564, 5608, 5613, 5618, 5619, 5770, 5771, 5785, 5817, 5909, 6018, 6055, 6087, 6097, 6119, 6155, 6246, 6269, 6280, 6284, 6328, 6343, 6357, 6381, 6422, 6487, 6527, 6554, 6574, 6602, 6629, 6630, 6632, 6633, 6634, 6637, 6640, 6642, 6643, 6652, 6655, 6656, 6666, 6669, 6670, 6678, 6679, 6680, 6683, 6689, 6691, 6694, 6695, 6697, 6701, 6702, 6703, 6707, 6708, 6709, 116480730012441, 2987, 3024, 3131, 3179, 3250, 3799, 4000, 4122, 4147, 4182, 116480780000001, शास्त्री नगर भीलवाड़ा, 116360700014736, 5087, 5474, 5542, 5607, 6054, 6057, 6063, 6065, 6066, 6082, 6083, 6107, 6115, 6117, 6121, 6131, 6132, 6134, 6136, 6139, 6142, 6144, 6152, 116360730011024, 1030, 1163, 3438, 3447, 3448, 3472, 3540, 116360780000005, सुभाष नगर भीलवाडा, 116390700019462, 9580, 9650, 9860, 9923, 9968, 9989, 116390700020122, 0134, 0191, 0291, 0318, 0481, 0585, 0680, 0692, 0736, 0775, 0973, 0984, 1019, 1113, 1127, 1137, 1177, 1194, 1199, 1304, 1601, 1606, 1614, 1630, 1635, 1636, 1688, 1693, 1718, 1733, 1737, 1739, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1759, 1760, 1780, 1792, 1800, 1803, 1808, 116390730022414, 4068, 4613, 5324, 5325, 5527, 6150, 7298, 7535, 7675, 7676, 8635, 9189, 9215, 9216, 9225, 9254, 9270, 9289, 9298, 9301, 9302, 9309, 9313, 9320, 9357, 9422, 9440, 9441, 9443, 9458, 9463, 9516, 9538, 9542, 9547, 9549, 9579, 9595,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9072604049 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

कार्यालय नगर पालिका केकड़ी (जिला-अजमेर)

Email ID-npkekri2011@gmail.com (O) 01407-220002, 220010 website-www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri

क्रमांकः न.पा.के./2021-22/4364-66 दिनांक :- 24.11.2021

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि पालिका क्षेत्र में निम्न आवेदकों द्वारा कृषि भूमि नियमन के तहत पट्टा चाहने चाहने एवं भवन निर्माण अनुमति चाहने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। जिसमें किसी भी व्यक्ति/सज्जन/पड़ौसी को कोई आपत्ति हो, तो कार्यालय में 7 दिवस में लिखित में मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद आवेदक को नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसमें किसी को कोई उजर मान्य नही होगा।

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	खसरा संख्या		स्वीकृत योजना	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
		नया	पुराना				
1	कन्हैयालाल पुत्र नेचलदास	3998	3561	न्यू कल्याण कॉलोनी	26	87.50	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
2	विनोद कुमार जोशी पुत्र श्री किशन जोशी	8966 / 3736	3411	विकास नगर चतुर्थ	24	66.20	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
3	महावीर प्रसाद न्याती पुत्र रामरतन न्याती	959, 960 8877, 4254, 8878, 4254	2950 मी. 5946, 2947	न्यू विद्या सागर	19	53.41	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
4	महावीर प्रसाद न्याती पुत्र रामरतन न्याती	959, 960 8877, 4254, 8878, 4254	2950 मी. 5946, 2947	न्यू विद्या सागर	18	68.69	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
5	लीलावती पत्नी भंवरलाल	962	2955	श्रीकृष्ण कॉलोनी	7, 8, 9	522.11	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
6	पीयूष जैन, अमन जैन पुत्र ज्ञानंचद जैन	4273	2925	वीएम कॉलोनी	21	131.39	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
7	प्रेमचंद पुत्र गुलाबचंद जैन	4273	2925	वीएम कॉलोनी	09	113.01	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
8	अर्चित कुमार जैन पुत्र उत्तम चंद	5233	797	श्रीराम कृष्ण कॉलोनी	14, 15	247. 45	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय
9	अमन मांगधणा पुत्र रमेश कुमार	4302	2883	कीर कॉलोनी	08	111.47	कृषि भूमि रूपान्तरण आवासीय

क्र.स.	आवेदक/पिता का नाम	स्वीकृत योजना	भूखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
1	अरूणा लोढा पत्नि अनिल कुमार लोढा नि. केकड़ी	कल्याण कॉलोनी अजमेर रोड़ केकड़ी	25	124.90	निर्माण स्वीकृति
2	पारसमल जैन पुत्र प्रवीण चंद जैन नि. केकड़ी	प्रेम नगर राजपुरा रोड़ केकड़ी	03	100.37	निर्माण स्वीकृति
3	हेमराज सिखवाल पुत्र रामकिशन व रेखा पत्नि हेमराज सिखवाल नि. टोडारायसिंह	श्रीनाथ सरोवर कॉलोनी, केकड़ी	34	87.85	निर्माण स्वीकृति
4	हेमराज सिखवाल पुत्र रामकिशन व रेखा पत्नि हेमराज सिखवाल नि. टोडारायसिंह	श्रीनाथ सरोवर कॉलोनी केकड़ी	35	87.85	निर्माण स्वीकृति
5	कैलाश चंद पुत्र भंवरलाल व सुनीता पत्नि कैलाश चंद राटा नि. केकड़ी	नेमीनाथ कॉलोनी केकड़ी	13 व 14	468.40	निर्माण स्वीकृति
6	विनोद कुमार वासवानी पुत्र दयालदास वासवानी नि. जूनिया गेट केकड़ी	इन्द्रा कॉलोनी केकड़ी	–	77.82	निर्माण स्वीकृति
7	गोपाललाल पुत्र रामेश्वरलाल वैष्णव नि. केकड़ी	जगदीश कॉलोनी अजमेर रोड़ केकड़ी	08	122.67	निर्माण स्वीकृति
8	मुकेश कुमार सोनी पुत्र शिवराज सोनी नि. केकड़ी	वी.एम.कॉलोनी राजपुरा रोड़ केकड़ी	17	116.91	निर्माण स्वीकृति
9	रामप्रकाश पुत्र महावीर विजयवर्गीय नि. केकड़ी	सुभाष नगर कॉलोनी राजपूरा का रास्ता केकड़ी	06	105.94	निर्माण स्वीकृति
10	रामप्रकाश पुत्र महावीर विजयवर्गीय नि. केकड़ी	सुभाष नगर कॉलोनी राजपूरा का रास्ता केकड़ी	09	105.94	निर्माण स्वीकृति

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केकड़ी